समाचार

आयुक्त ने दिया अल्टीमेटम – एक सप्ताह के अंदर सी.टी.पी.टी. में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्थाएं करें सुनिश्चित

(आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने टीपीनगर जोन के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर साफ–सफाई कार्यो, सी.टी.पी.टी. की व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण)

(सड़क, नाली में सी.एण्ड डी.वेस्ट डालने पर हुए नाराज, लगाया 10 हजार रू. का अर्थदण्ड, अतिक्रमण अवैध कब्जा व सी.एण्ड डी.वेस्ट फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश)

कोरबा 17 फरवरी 2026 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों की देखरेख व संचालन करने वाली एंजेसी एवं निगम के अधिकारियों को कड़े अल्टीमेटम देते हुए निर्देशित किया है कि वे सभी सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों में एक सप्ताह के अंदर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें, अन्यथा अव्यवस्था के

लिए जवाबदारी तय कर संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होने साफ–सफाई कार्यो में कसावट लाते हुए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई कार्य सुनिश्चित करने, शत प्रतिशत घरों से त्रुटिरहित डोर–टू–डोर अपशिष्ट का संग्रहण कराने तथा सी.एण्ड डी.वेस्ट फैलाने एवं अवैध कब्जा व अतिक्रमण पर निरंतर कार्यवाही जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने अधिकारियों की टीम के साथ टी.पी.नगर जोन के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर साफ–सफाई व्यवस्था व किए जा रहे सफाई कार्यो, सी.टी.पी.टी. की व्यवस्थाओं आदि का आकस्मिक निरीक्षण किया। आयुक्त श्री पाण्डेय ने टीपीनगर स्थित नया बस स्टैण्ड के सार्वजनिक शौचालय व पिंक टायलेट का सघन रूप से अवलोकन करते हुए वहॉ की व्यवस्थाओं के संबंध में संचालन एंजेसी व अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए एक सप्ताह के अंदर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने, शौचालयों में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखने के कड़े निर्देश दिए। उन्होने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर मानदण्डों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं कराई गई तो इसके लिए जवाबदारी तय कर संबंधितों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त श्री पाण्डेय ने लालूराम कालोनी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पैदल भ्रमण करते हुए वहॉ की सफाई व्यवस्था व स्थल पर किए जा रहे साफ–सफाई कार्यो का निरीक्षण किया, उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि साफ–सफाई कार्यो में और अधिक कसावट लायें तथा शत प्रतिशत घरों से डोर–टू–डोर अपशिष्ट का संग्रहण अनिवार्य रूप से किया जाए, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सफाई कार्यो के दौरान सड़क, नाली आदि से निकले हुए अपशिष्ट को तत्काल स्थल से उठवायें तथा उसका समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करायें तथा यह देंखे कि उत्सर्जित कचरा ज्यादा समय तक स्थल पर डम्प न रहें।

<u>सी.एण्ड डी.वेस्ट पर 10 हजार रू. का अर्थदण्ड</u> – भ्रमण के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय टीपीनगर जोन के डीडीएम रोड पहुंचे, वहॉ पर सड़क व नाली में भवन निर्माण व मरम्मत के उपयोग आने वाली गिट्टी, मलवा, ईट, रेत आदि डाल दिया गया था, जिसके कारण नाली में पानी का बहाव अवरूद्ध हो रहा था, वहीं सड़क पर आवागमन भी बाधित हो रहा था। आयुक्त श्री पाण्डेय ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की तथा संबंधित पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के निर्देश दिये। निगम के अधिकारियों द्वारा संबंधित पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा सी.एण्ड डी.वेस्ट का स्थल से हटाने के निर्देश दिये गये।

<u>अतिक्रमण व अवैध कब्जे पर सतत कार्यवाही जारी रहे</u> – आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में कहीं पर भी नया अतिक्रमण न होने पाये, अतः अवैध कब्जा व अतिक्रमण पर सतत नजर रखें तथा जहॉ कहीं भी अतिक्रमण व अवैध कब्जे का प्रयास हो रहा हो उस पर तत्काल रोक लगायें। आयुक्त श्री पाण्डेय ने निगम के सभी जोन कमिश्नरों, मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में सतत भ्रमण कर अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखें तथा जहॉ कहीं भी अतिक्रमण व अवैध कब्जा होते दिखे, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए, इसकी सूचना निगम के अतिक्रमण दस्ते को दें तथा दस्ते के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।